न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 12/589

हेमराज सिंह आत्मज श्री जसराज सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खेडला तहसील व जित बून्दी।

----अपीलान

बनाम

1. नरेन्द्र सिंह आत्मज श्री जसराजसिंह जाति राजपूत निवीस ग्राम खेडला तहसील व जिला बून्द हाल निवासी मकान नं0 27 शोपिंग सेन्टर कोटा ।
2. श्री मदन सिंह आत्मज श्री जसराज सिंह जाति राजपूत निवीस ग्राम खेडला तहसील व जिल बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/1. श्रीमती संतोष कंवर विधवा श्री मदन सिंह जाति राजपूत निरवासी ग्राम खेडला हाल निवास के0 पाटन चौराहा तालेडा जिला बून्दी ।
   2/2. भरत सिंह मदन सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खेडला अवयस्क जरिये संरक्षक मात श्रीमती संतोषक कंवर विधवा श्री मदन सिंह जाति राजपूत निवीस के0 पाटन चौराह तालेडा जिला बून्दी ।
   2/3. नन्दनी
   2/4. बृजेश पुत्रियॉ श्री मदनसिंह जाति राजपूत निवासी के0 पाटन चौराहा तालेडा तहसील व जिला बून्दी ।
   2/5. निशा
   2/6. निधी पुत्रियॉ श्री मदन सिंह जी अवयस्क जरिये माता संरक्षक श्रीमती संतोष कंवर विधव श्री मदन सिंह जाति राजपूत निवासीगण के0 पाटन चौराहा तालेडा जिला बून्दी ।
3. श्री रघुवीर सिंह आत्मज तकतसिंह जाति राजपूत निवासी ग्रमा खेरौली तहसील व जिला बून्दी ।
4. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान् तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी ।
5. श्रीमान् उप पंजीयक महोदय तालेडा जिला बून्दी ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री बृजमोहन गौतम, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 12.02.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.08.2012 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत ग्राम खेडला तहसील व जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 87 रकबा 05 बीघा 18 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत कर वादी का वाद स्वीकार करने का निवेदन किया ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दिनांक 08.07.2010 को वादी द्वारा कोस्ट जमा नहीं करने से अदम तकमील में खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रतिवादी हेमराज ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र वाद पुनः नम्बर पर लिये जाने हेतु पेश किया और निवेदन किया कि वादी नरेन्द्र सिंह लकवाग्रस्त हो गये थे इस कारण पेशियों पर आना–जाना बन्द हो गया इसलिए उनका वाद अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दिया था । बंटवारे के दावे में प्रत्येक सहखातेदार की हैसियत वादी की होती है । प्रार्थी प्रतिवादी हेमराजसिंह उक्त वाद में पारित प्राथमिक डिक्री के अनुरूप बंटवारा करवाकर बंटवारे की अंतिम डिक्री जारी करवाना चाहते हैं । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद पुनः नम्बर पर लेकर प्राथमिक डिक्री के अनुसार बंटवारा रिपोर्ट मंगवाई जावे तथा अंतिम डिक्री पारित की जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 13.08.2012 के द्वारा प्रार्थी प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए वादी का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.08.2012 से व्यथित होकर प्रार्थी प्रतिवादी क्रम 1 हेमराज अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि बंटवारे के वाद में सभी पक्षकारों की हैसियत वादी के समान होती है । इस कारण अपीलान्ट प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र पर वाद पुनः नम्बर पर लिया जाकर अंतिम डिक्री पारित की जानी चाहिए थी । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र खारिज करने का आधार इस तथ्य को बनाया है कि वाद अदम तकमील में खारिज किया गया था तथा वादी द्वारा 200/– रूपये की कोस्ट जमा नहीं की गई है । किन्तु दिनांक 08.07.2010 को वादी की ओर से स्वयं वादी अथवा उनके अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित नहीं थे इस कारण वाद अन्तर्गत आदेश 09 व्यवहार प्रक्रिया संहिता में ही खारिज किया जाना माना जाना चाहिए था । वादी द्वारा 200/– रूपये कोस्ट जमा नहीं किये जाने के आधार पर अदम तकमील में वाद खारिज किया जाना वादी के विरूद्ध माना जा सकता है । प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र पर अदम तकमील को आधार बनाकर प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.08.2012 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी नरेन्द्र सिंह ने बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दाव पेश किया था । दिनांक 28.09.99 को पक्षकारान ने राजीनमा पेश किया और दिनांक 19.06.2007 को बंटवारे की प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई । वादी नरेन्द्र सिंह द्वारा 200/– रूपये की कोस्ट का भुगतान नहीं किया गया । वो लकवाग्रसत हो गया इस कारण पेशी पर नहीं आ सके । इस कारण दिनांक 08.07.2010 को वादी की अनुपस्थिति में दावा खारिज कर दिया गया । चूँकि दावा बंटवारे का था जिसमें सभी खातेदारों की हैसियत वादी की होती है । इस कारण प्रार्थी प्रतिवादी क्रम 1 हेमराज अपीलान्ट ने दिनांक 11.07.2012 को वाद पुनः नम्बर पर लिया जाकर अंतिम डिक्री किये जाने की प्रार्थना करते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके साथ धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दावे को पुनः नम्बर पर लेकर अंतिम डिक्री पारित करनी चाहिए थी । दिनांक 08.07.2010 को वादी एवं वादी के अभिभाषक उपस्थित नहीं थे । इस कारण दावा वादी आदेश 09 सीपीसी के तहत ही खारिज किया जाना चाहिए । अदम तकमील में दावा खारिज करने में त्रुटि की है । वादी आरोपित 200/– रूपये की कोस्ट अपीलान्ट प्रतिवादी जमा कराने को तैयार है । पक्षकारों को सूचित किये बिना ही प्रार्थना पत्र खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.08.2012 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थना पत्र विलम्ब से पेश किया गया था ओर दावा अदम तकमील में खारिज किया गया था । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रार्थना पत्र खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.08.2012 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादी के द्वारा धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत दावा पेश किया गया था । जो दिनांक 19.06.2007 को एकपक्षीय रूप से प्रारम्भिक डिक्री किया गया । इसके उपरान्त दिनांक 08.07.2010 को दावा वादी कोस्ट नहीं अदा करने के आधार पर अदम तकमील में खारिज किया गया है । चूँकि विभाजन के दावे में प्रतिवादी भी वादी की हैसियत रखते हैं इस कारण अपीलान्ट प्रतिवादी ने अधीनस्थ न्यायालय में दावे को पुनः नम्बर पर लेने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से खारिज किया है । प्रकरण वादग्रस्त आराजी के विभाजन का है जो पक्षकारान के संयुक्त खाते में दर्ज है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 19.06.2007 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जा चुकी है । विभाजन के दावे में प्रतिवादी भी वादी की हैसियत रखते हैं । ऐसी स्थिति में हम न्यायहित में अपील अपीलान्ट स्वीकार करना उचित समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.08.2012 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि दिनांक 19.07.2007 को जारी प्रारम्भिक डिक्री की अनुपालना में राजस्व नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विधि सम्मत रूप से अंतिम डिक्री पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 27.03.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 12.02.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

12/2/19

(भागवंती जैठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा